



सम्बद्धता आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक सदस्यीय निरीक्षण मण्डल की संस्तुति दिनांक: 29.08.2022 के क्रम में सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक: 15.12.2023 तथा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक: 15.12.2023 के अनुपालन में डॉ0 शन्नो रानी सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सिंदारपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़ को स्नातक स्तर पर कला/वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान) एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2023-24 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा बैंक स्टेट पूर्ण कर एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
2. महाविद्यालय अपने निकटवर्ती एक गांव को गोद (एडाप्ट) लेगा तथा उसके विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
3. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण/शिक्षणेत्तर कर्मियों का सी0पी0एफ0/ई0पी0एफ0 खाता खुलवाकर निर्धारित मात्रा में अंशदान कराना सुनिश्चित करें।
4. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक: 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेश का पालन करेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमवाली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
9. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमवाली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
12. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. प्रबन्धक, डॉ0 शन्नो रानी सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सिंदारपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ परिक्षेत्र।
6. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

कुलसचिव